

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
O.A. NO. 248/2022**

IN THE MATTER OF:
APPLICANT:

In re: News Item published in the
Hindu dated 27.03.2022 Titled as
Digging up the Chambal

//VERSUS//

RESPONDENT:

State of M.P. & Ors

INDEX

Sl.	Particulars	Annexure	Page No.
01	REPLY		
02	Affidavit		
03	Order Dated 22/03/2021	ANNEXURE RR-1	
04	The minutes of meeting dated 27/06/2022	ANNEXURE RR-2	
05	Copy of the order dated 01/07/2022	ANNEXURE RR-3	
06	Copy of minutes of meeting dated 06/12/2022	ANNEXURE RR-4	
07	Copy of minutes of meeting dated 20/01/2023	ANNEXURE RR-5	
08	Copy of the letter dated 03/02/2023	ANNEXURE RR-6	
09	Copy of the details of the check-post	ANNEXURE RR-7	
10	Copy of List providing the details in tabular form	ANNEXURE RR-8	
11	Copy of list providing the details	ANNEXURE RR-9	
12	The minutes of meeting dated 06/06/2022	ANNEXURE RR-10	
13	Copy of order dated 10/06/2022	ANNEXURE RR-11	
14	Copy of order dated 29/06/2022	ANNEXURE RR-12	
15	Copy of list providing the details of illegal mining activities during the month of June 2022	ANNEXURE RR-13	
16	Copy of minutes of meeting dated 27/01/2023	ANNEXURE RR-14	
17	Copy of the letter dated 03/02/2023	ANNEXURE RR-15	

16. VAKALATNAMA

BHOPAL

(SACHIN K. VERMA)

03/02/2023 COUNSEL FOR THE RESPONDENT STATE OF MP

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
O.A. NO. 248/2022

IN THE MATTER OF:
APPLICANT:

In re: News Item published in the
Hindu dated 27.03.2022 Titled as
Digging up the Chambal

//VERSUS//

RESPONDENT:

State of M.P. & Ors

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT STATE OF MP

On behalf of Respondent State named above, it is most respectfully submitted as follows:-

1. The Hon'ble Principal Bench has already decided the same issue in OA No. 99/2020 titled as Ashish Bhadauria V. State of MP vide order dated 22/03/2021 passed following order:

"1. Grievance in this application is that illegal sand mining is being done in Chambal sanctuary area on UP MP border, in the vicinity of National Chambal Gharlal Wildlife Sanctuary, to the detriment of flora and fona of the area, without any EC or without any safeguards.

2. Though no report has been furnished in terms of last order dated 08.07.2020 by District Magistrates concerned I.e. Etawah In UP and Niwari in MP and Chief Wildlife Wardens of UP and MP, the matter of remedial action against illegal sand mining has been dealt with by this Tribunal vide order dated 26.02.2021 in O.A. No. 360/2015, NGT Bar Association v. Virender Singh (State of Gujarat) and other connected matters. The operative part of the order is as follows:-

27. We direct all the States/UTS to strictly follow the SSMG-2016 read with EMGSM-2020 reinforced by mechanism for

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

preparation of DSRS. (in terms of directions of this Tribunal dated 14.10.2020 In Pawan Kumar, supra and 04.11.2020 In Rupesh Pethe, supra), Environment Management Plans, replenishment studies, mine closure plans, grant of EC (in terms of direction dated 13.09.2018 in Satendra Pandey, supra), assessment and recovery of compensation (as per discussion In Para 25), seizure and release of vehicles involved in Illegal mining (In terms of order dated 19.02.2020 in Mushtakeem, supra), other safeguards against violations, grievance redressal, accountability of the designated officers and periodical review at levels. As already noted, EMGSM-2020 contemplates extensive use of digital technology, including remote sensing.

28. We further direct that periodic inspection be conducted by a five- members Committee, headed and coordinated by the SEIAA and comprising CPCB (wherever it has regional office), State PCB and two expert members of SEAC dealing with the subject. Where CPCB regional office is not available, if MOEF&CC regional office is available, Its Regional Officer will be Included in the Committee. Where neither CPCB nor MoEF&CC regional office exists, Chairman, SEIAA will tie up with the nearest Institution of repute such as IIT to nominate an expert for being included in the Committee. Such Inspection must be conducted at least thrice for each lease i.e. after of 25% the lease period, then after 50% of the period and finally six months before expiry of the lease period for midway correction and assessment of damage, if any. The reports of such Inspections be acted upon and placed on website of the SEIAA. Every lessee, undertaking mining, must have an environment professional to facilitate sustainable mining in terms of the mining plan and environmental norms. This be overseen by the SEIAA. Environment Departments may also develop an appropriate mobile App for receiving and redressing the grievances against the sand mining, including connivance of the authorities and also a mechanism to fix accountability of the concerned officers. Recommendations of the Oversight



Committee for the State of UP quoted earlier may be duly taken into account.

The mechanism must provide for review at the level of the Chief Secretary at least once in every quarter, in a meeting with all concerned Departments in the State. The Chief Secretary UP may ensure further action in the light of the report of the Oversight Committee. Similarly, at National level, such review needs to be conducted at least once in a year by the Secretary, Environment in coordination with the Secretaries Mining and Jalshakti Ministries the CPCB.

29. We further direct all the States/UTS to publish their annual reports on the subject and such annual reports may be furnished to MoEF&CC by 30th April every year giving status till 31 March. First such report as on 31.03.2022 may be filed with the MoEF&CC by all the States/UTS on or before 30.04.2022. The report may also be simultaneously posted on the website of the Environment Department of the States/UTS. Based on such reports, MoEF&CC may consider supplementing its Guidelines from time to time. The MoEF&CC may prepare a consolidated report considering the reports from the States/UTS and publish its own report on the subject, preferably by 31st May every year.

30. We direct the Secretary MoEF&CC to convene a meeting in coordination with the CPCB and Mining and Jalshakti Ministries of Central Government and such other experts/Individuals at National level and representatives of States within three months for Inter-action on the subject which may be followed by such meetings being convened by the Chief Secretaries in all States in next three months. Holding of such meetings will provide clarity on enforcement strategies and help protection of environment. All the applications are disposed of. Individual issues may be gone into in accordance with the mechanism to be involved as above."



3. In view of the above, the Secretaries, Environment, UP and MP may take further remedial action the matter following due process of law.

4. The application is disposed of.

5. A copy of this order be forwarded to the Secretaries, Environment, UP and MP by e-mail for compliance."

The copy of order is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1**

2. In OA No. 57/2021 Hon'ble Central Zonal Bench of this Tribunal vide its order dated 25/05/2022 directed the Chief Secretary Government of Madhya Pradesh to take corrective action and also to submit the action taken report as well as to suggest sustainable remedial measures to the Hon'ble Tribunal.
3. In compliance to the direction passed by Hon'ble Tribunal a meeting was conducted under the chairmanship of Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh on 27/06/2022 at Vallabh Bhawan Bhopal following were present in the meeting :-

//MINUTES OF MEETING HELD BY CHIEF SECRETARY//

1. Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Home
2. Principal Secretary Government of Madhya Pradesh, Department of Forest
3. Principal Secretary Government of Madhya Pradesh, Department of Environment
4. Divisional Commissioner Gwalior/Chambal Division
5. Inspector General of Police Gwalior/Chambal Zone
6. Chief Conservator of Forest Gwalior/Chambal Zone
7. District Collector, District Gwalior, Bhind, Morena & Datia
8. Superintendent of Police District Gwalior, Bhind, Morena & Datia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


9. Chief Conservator of Forest/ Divisional Forest Officer
Wildlife Sanctuary Morena Madhya Pradesh

During the meeting after following deliberation & observations are made by the attendees:-

- i. The meeting was convened by the Principal Secretary, Department of Mineral Resources who had apprised during the meeting that the department has notified new MP mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation, Storage & Trading) Rules 2022 on 08/04/2022 therein for illegal excavation transportation and storage of minerals, more stringent penal provisions are provided and in addition to these provisions for recovery of environmental loss/damage the penal provision of compensation and recovery of fine are also provided.
- ii. During the meeting Collector Morena has submitted that in the District Morena to curb and control illegal sand mining and transportation in forest area the forest department is provided the armed force of SAF and the District Level Task Force has also initiated joint action against such illegal activities and further the illegal excavation, transportation and storage cases registered by the revenue officials are now decided at the earliest.

In District Morena sand mineral is available in Chambal River which falls within the Chambal Ghadiyal Sanctuary area, therein five locations are demarcated and selected for carrying out sand mining activities and to allow sand mining activities in the sanctuary area necessary approval is pending before the MoEF & CC.

- iii. The District Collector, District Gwalior has submitted during the meeting that in District Gwalior the District Level Task Force is already constituted which has initiated regular action against illegal excavation, transportation and storage of sand, the meetings of District Level Task



Force are conducted regularly and the District Mining Branch along with the District Administration is keeping vigil eye on such illegal activities. The District Mining Branch, Gwalior has taken preventive action by establishing 7 check posts thereby to keep sufficient surveillance on all such illegal activities.

- iv. The District Collector District Bhind also submitted that District Mining Branch Bhind has taken a preventive action by establishing 6 check posts thereby to keep sufficient surveillance on all such illegal activities. Further the District Collector District Bhind submitted that the joint team of Revenue and Forest Department are constituted which are carrying out incognito inspections in illegal mining prone areas and further to curb and control all such illegal mining activities the team of 30-40 Subordinate Government Employees are sent to such illegal mining prone areas who are taking action against illegal excavation and transportation.
- v. The District Mining Branch, Datia has taken a preventive action by establishing 7 check posts thereby to keep sufficient surveillance on all such illegal activities.
- vi. The Chief Secretary passed necessary direction during the meeting that a Divisional Level Coordination Committee be constituted under the chairman ship of Divisional Commissioner Gwalior/Chambal Division and the Inspector General of Police Gwalior/Chambal Range, Chief Conservator of Forest Gwalior/Chambal Division, Regional Officer MPPCB, Regional Transport Officer and Regional Head of Directorate of Geology and Mines will be the member of the said committee.
- vii. The Divisional Level Committee will keep a vigil eye on illegal excavation, transportation and storage of minerals and will review and monitor the preventive action by



providing sufficient armed force to curb and control all such illegal activities.

The minutes of meeting dated 27/06/2022 are marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-2**

4. As observed and instructed by Chief Secretary Government of Madhya Pradesh during the meeting dated 27/06/2022 the Department of Mineral Resources, State Government of Madhya Pradesh has constituted a Divisional Level Co-ordination Committee vide order dated 01/07/2022 which is as follows.

1. Divisional Commissioner Gwalior/Chambal Division (M.P.)- **Chairman**
2. Inspector General of Police Gwalior/Chambal Range(M.P.)
3. Chief Conservation Officer Gwalior/Chambal Zone (M.P.)
4. Regional Officer MPPCB Gwalior (M.P.)
5. Regional Transport Officer, Gwalior(M.P.)
6. Regional Head of Directorate of Geology & Mines, Gwalior (M.P.)

The copy of the order dated 01/07/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-3**

//DISTRICT-WISE COMPLIANCES//

DISTRICT MORENA:-

In District Morena the District Level Task Force held a meeting dated 06/12/2022 at 11:00 AM in the office of collectorate Morena, following members/officials were present during the meeting :-

1. Superintendent of Police District Morena
2. Divisional Forest Office District Morena
3. Additional Collector District Morena
4. Mining Officer District Morena
5. District Excise Officer District Morena

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6. District Food Officer District Morena
7. District Medical Officer District Morena
8. Mining Inspector District Morena

During the said meeting after deliberations and discussion following decision were taken:-

- i) The District Collector Morena instructed to initiate joint action against sand mining mafias particularly for the mafias who are operating in the restricted area of Chambal River, the Divisional Forest Officer is instructed to provide the information to Additional Collector and Additional Superintendent of Police along with the District Mining Branch so that such information be updated on the portal. The Police/Forest/Revenue and Mining Department are instructed to take co-ordinated action and the vehicles involved in such illegal sand transportation be confiscated and FIR shall also be registered/lodged.
- ii) The Subordinate Government Employees who are deployed at the mineral check-posts are instructed to provide monthly information pertaining to the action initiated against the illegal sand transportation from River Chambal apart from sand other minor mineral mafias who are active in the District Morena a pre-planned joint action be initiated.
- iii) **STRATEGY & IMPLEMENTATION TO CURB AND CONTROL ILLEGAL SAND EXCAVATION FROM NATIONAL CHAMBAL SANCTUARY**

There is a problem of Illegal Sand Excavation from National Chambal Sanctuary. In the leadership of District Task Force incognito raids were carried out and during the raid it is ensured that the vehicles transporting illicit sand are seized and the Forest Department has initiated the confiscation proceedings against such vehicles. During the last 1 year the Forest Department has ceased 69 vehicles wherein the confiscation proceeding is pending and during



the last 1 year 42 vehicles have been already confiscated by the forest Department.

- iv) The District task Force also observed that within the Forest Division Morena measures to curb and control the illegal excavation and transportation of sand, information system will be developed and by regular patrolling of forest officials/SAF Force within the forest area and the sanctuary will also work as a deterrent against the illegal sand mining activities.
- v) The Forest Department has also restricted the entry of vehicles into Chambal river by digging up trenches so as to restrict the entry of vehicles, the Divisional Commissioner Chambal Division has also instructed to take photographs of illegal sand transporting vehicles through the help of CCTV and drones which will be made available to the District Administration and further joint action will be initiated in the leadership of the District Task Force against illegal sand transporting vehicles.
- vi) In the National Chambal Sanctuary at various points steamer and boats are used as a mode of transport to cross the river and for the necessity of public in general, such practice is not possible to be stopped therefore, the District Task force has taken a decision to regulate the plying of boat and steamers, thus all the drivers of boat and steamer will make an application before the Forest Department and under the direction of District collector a committee may be constituted in all the three districts therein SDM will be the Chairman and Director National Chambal Sanctuary and Chief Executive Officer, Janpad will be the members of the committee. The boat and steamers owners/drivers will make and application before the Forest Department and the Forest Department will place and consider the applications before the aforesaid committee. The CEO Janpad Panchayat will issue



requisite permission for plying of boat/steamers and recover royalty for such permissions.

- vii) The District Task Force has also observed that the vehicles involved in illegal transportation are by passing the tolls established at National and State Highways often it is found that the vehicles involved in illegal sand transport activities are not having any registration number mentioned on the vehicle therefore, with the coordination of police and other department the regional transport department shall carry out joint action against such illegal vehicles.

The minutes of meeting dated 06/12/2022 are marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-4**

In District Morena the District Level Task Force held a meeting dated 20/01/2023, during the said meeting after discussion following decision/observations were made:-

- i) The District task force committee instructed to initiate joint action against sand mining mafias particularly for the mafias who are operating in the restricted area of Chambal River and such information be updated every month. The vehicles involved in illegal sand transportation be confiscated and FIRs be lodged against such vehicles. The check post established within the close vicinity of Chambal River to curb and control illegal transportation activities, the sub ordinate employees posted at such check post be instructed to take effective steps and the information be provided every month. The minutes of meeting dated 20/01/2023 are marked and filed herewith as **ANNEXURE RR- 5**

- ii) It is further submitted that there is no sanctioned/operational sand quarry in Chambal River in District Morena. The copy of the letter dated 03/02/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-6**




5. The office of Divisional Forest Officer Forest Division Morena vide letter dated 08/07/2022 has provided an information to Mining Officer District Mining Branch Morena that a check-post at Dholpur Road Morena has been established by the Forest Department to show the exact location the co-ordinates are also provided by the office of Divisional Forest Officer Forest Division Morena. The copy of the details of the check-post is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-7**
6. The District Mining Branch District Morena has provided the consolidated list of illegal mining/transportation/storage for the year 2021 therein total 192 cases are registered out of which 69 vehicles have been confiscated and thereafter in the year 2022 137 cases are registered out of which 15 vehicles have been confiscated. The List providing the details in tabular form is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-8**
7. Further the cases registered for illegal mining in District Morena for the period 01/09/2022 to 23/01/2023 are that the Forest Department has registered 32 cases of illegal sand mining/transportation and the Police have also registered 10 cases of illegal sand transportation whereby the FIR is lodged and 4 culprits are prosecuted. The copy of list providing the details are marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-9**
8. Since there is no sanctioned/valid sand quarry in District Morena therefore, there is no occasion to pass any order pertaining to rainy season ban in District Morena.

DISTRICT BHIND:-

9. In District Bhind the District Level Task Force held a meeting dated 06/06/2022 in the Collectorate Office Bhind, following members/officials were present during the meeting :-
- i. Sub-Divisional Officer (Revenue)
 - ii. Sub-Divisional Officer (Police)
 - iii. District Transport Officer
 - iv. District Mining Officer




During the said meeting after discussion following decision/observations were made:-

- i) The Mineral Resource Department and Revenue Department are instructed to facilitate the valid sand contractor to establish check-posts under their monitoring and observation the Mining Officer/Mining Inspector Bhind are instructed to keep continuous vigilance on such mineral check-posts and if necessary the assistance of nearest Police Stations be provided in the District Bhind.
- ii) The abandoned illegal stock of sand be confiscated and further be auctioned through valid contractor or provided to the Government construction agencies. The Transport Officer may check the illegal transportation vehicles its prescribed capacity and make and in case of any additional modification or increase in the prescribed height of body is found then for such illegally modified vehicles appropriate actions shall be initiated.
- iii) The Transport Department may take proper action against unregistered vehicles involved in illegal transportation of minerals.
- iv) Police, Revenue and Mining Department shall carry out incognito raid at sand mining blocks situated at Sindh River and may carry out action against illegal transportation vehicles/machines and pandubbis.
- v) The River Chambal falls within the Chambal wildlife Sanctuary area and various complaints are reported for illegal sand mining and transportation in these forest areas. The Forest Department is duly empowered to take action within the purview of Forest Conservation Act therefore the Divisional Forest Officer



Bhind shall initiate necessary action and will keep continuous vigilance in the forest area, if required the Divisional Forest Officer Bhind Divisional Forest Officer Bhind may take assistance from police.

The minutes of meeting dated 06/06/2022 are marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-10**

10. Total 9 sand mineral check-posts are established within the District Bhind vide order dated 10/06/2022. The order dated 10/06/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-11**
11. The District Collector Bhind vide order dated 29/06/2022 has imposed rainy season ban from 30/06/2022 to 30/09/2022 during such period river sand mining activities are completely banned in District Bhind. The copy of the order dated 29/06/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-12**
12. The District Mining Branch District Bhind has provided the list about the illegal sand mining for the month of June 2022 therein total 49 cases of illegal transportation & storage are registered and thereby an amount of Rs 97,39,394/- has been recovered. The list providing the details of illegal mining activities during the month of June 2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-13**

The District Level Task Force District Bhind held a meeting dated 27/01/2023, during the said meeting after discussion following decision/observations were made:-

- i) The River Chambal falls within the Chambal wildlife Sanctuary area and various complaints are reported for illegal sand excavation and transportation in these forest areas. The Forest Department is duly empowered to take action within the purview of Forest Conservation Act therefore the Forest Department Bhind shall initiate necessary action and will keep continuous vigilance in the forest area, if required the



Forest Department Bhind may take assistance from police. The copy of minutes of meeting dated 27/01/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-14**

- ii) It is further submitted that there is no sanctioned/operational sand quarry in Chambal River in District Bhind. The copy of the letter dated 03/02/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-15**


13. In view of the judicial and factual matrix the reply may kindly be taken on record and the Hon'ble Tribunal may pass appropriate order, accordingly, in the imminent interest of justice.
14. An affidavit in support is filed herewith.

SUBMITTED BY;



RESPONDENT STATE OF MP

THROUGH;



BHOPAL

(SACHIN K. VERMA)

03/02/2023 COUNSEL FOR THE RESPONDENT STATE OF MP

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. NO. 248/2022

IN THE MATTER OF:

APPLICANT:

In re: News Item published in the
Hindu dated 27.03.2022 Titled as
Digging up the Chambal

//VERSUS//

RESPONDENT:

State of MP

AFFIDAVIT

I, Anoop Mishra, Aged about 61 years, S/o Shri K.K Mishra posted as Deputy Director Mineral Administration, O/o 29 A Khanij Bhawan Arera Hills Bhopal (M.P.) do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

1. That, I have been appointed as officer incharge to represent the case on behalf of Respondent State of MP in the present matter and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.
2. That the accompanying reply cum compliance report has been drafted as per my instructions and also explained to me.
3. That the contents of para 1 to end of accompanying reply cum compliance report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.

DEPONENT

श्री. Anoop Mishra
आलय नं. 29 A Khanij
आज दिनांक 02/02/23

By, D. K. Mishra
Admin 29 A Khanij
Bhawan Arera Hills Bhopal (M.P.)

VERIFICATION

को मेरे समक्ष शपथ ग्रहण करी
श्री. Anoop Mishra (Deponent)
शपथ ग्रहण करी 30/01/23

above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

विजय सिंदोके
शपथ आयुक्त, भोपाल
प्रमाणित किया जाता है कि
शपथ ग्रहण करी को मेरे समक्ष
शपथ-पत्र सुनाया, समझाया
गया। उसने सही समझकर
हरताक्षर-अंगूठा मेरे समक्ष
अंकित किया। 02/02/23

विजय सिंदोके
शपथ आयुक्त, भोपाल

IDENTIFIED BY ME

DEPONENT

2021 SCC OnLine NGT 64

In the National Green Tribunal¹

(BEFORE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON AND SHEO KUMAR SINGH, MEMBER (JUDICIAL)
AND NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER)

Ashish Bhadauria ... Applicant;

Versus

State of M.P. ... Respondent.

Original Application No. 99/2020

Decided on March 22, 2021, [Date of Hearing: 22.03.2021]

ORDER

1. Grievance in this application is that illegal sand mining is being done in Chambal sanctuary area on UP - MP border, in the vicinity of National Chambal Gharial Wildlife Sanctuary, to the detriment of flora and fauna of the area, without any EC or without any safeguards.

2. Though no report has been furnished in terms of last order dated 08.07.2020 by District Magistrates concerned i.e. Etawah in UP and Niwari in MP and Chief Wildlife Wardens of UP and MP, the matter of remedial action against illegal sand mining has been dealt with by this Tribunal vide order dated 26.02.2021 in O.A. No. 360/2015, *NGT Bar Association v. Virender Singh (State of Gujarat)* and other connected matters. The operative part of the order is as follows:—

"1 to 26..xxx.....xxx.....xxx"

27. We direct all the States/UTs to strictly follow the SSMG-2016 read with EMGSM-2020 reinforced by mechanism for preparation of DSRs. (in terms of directions of this Tribunal dated 14.10.2020 in Pawan Kumar, supra and 04.11.2020 in Rupesh Pethe, supra), Environment Management Plans, replenishment studies, mine closure plans, grant of EC (in terms of direction dated 13.09.2018 in Satendra Pandey, supra), assessment and recovery of compensation (as per discussion in Para 25), seizure and release of vehicles involved in illegal mining (in terms of order dated 19.02.2020 in Mushtakeem, supra), other safeguards against violations, grievance redressal, accountability of the designated officers and periodical review at higher levels. As already noted, EMGSM-2020 contemplates extensive use of digital technology, including remote sensing.

28. We further direct that periodic inspection be conducted by a five-members Committee, headed and coordinated by the SEIAA and comprising CPCB (wherever it has regional office), State PCB and two expert members of SEAC dealing with the subject. Where CPCB regional office is not available, if MoEF&CC regional office is available, its Regional Officer will be included in the Committee. Where neither CPCB nor MoEF&CC regional office exists, Chairman, SEIAA will tie up with the nearest institution of repute such as IIT to nominate an expert for being included in the Committee. Such inspection must be conducted at least thrice for each lease i.e. after expiry of 25% the lease period, then after 50% of the period and finally six months before expiry of the lease period for midway correction and assessment of damage, if any. The reports of such inspections be acted upon and placed on website of the SEIAA. Every lessee, undertaking mining, must have an environment professional to facilitate sustainable mining in

terms of the mining plan and environmental norms. This be overseen by the SEIAA. Environment Departments may also develop an appropriate mobile App for receiving and redressing the grievances against the sand mining, including connivance of the authorities and also a mechanism to fix accountability of the concerned officers. Recommendations of the Oversight Committee for the State of UP quoted earlier may be duly taken into account.

The mechanism must provide for review at the level of the Chief Secretary at least once in every quarter, in a meeting with all concerned Departments in the State. The Chief Secretary UP may ensure further action in the light of the report of the Oversight Committee.

Similarly, at National level, such review needs to be conducted at least once in a year by the Secretary, Environment in coordination with the Secretaries Mining and Jalshakti Ministries the CPCB.

29. We further direct all the States/UTs to publish their annual reports on the subject and such annual reports may be furnished to MoEF&CC by 30th April every year giving status till 31st March. First such report as on 31.03.2022 may be filed with the MoEF&CC by all the States/UTs on or before 30.04.2022. The report may also be simultaneously posted on the website of the Environment Department of the States/UTs. Based on such reports, MoEF&CC may consider supplementing its Guidelines from time to time. The MoEF&CC may prepare a consolidated report considering the reports from the States/UTs and publish its own report on the subject, preferably by 31st May every year.

30. We direct the Secretary MoEF&CC to convene a meeting in coordination with the CPCB and Mining and Jalshakti Ministries of Central Government and such other experts/individuals at National level and representatives of States within three months for inter-action on the subject which may be followed by such meetings being convened by the Chief Secretaries in all States in next three months. Holding of such meetings will provide clarity on enforcement strategies and help protection of environment.

All the applications are disposed of. Individual issues may be gone into in accordance with the mechanism to be involved as above."

3. In view of the above, the Secretaries, Environment, UP and MP may take further remedial action the matter following due process of law.

4. The application is disposed of.

5. A copy of this order be forwarded to the Secretaries, Environment, UP and MP by e-mail for compliance.

† Principal Bench at New Delhi

Disclaimer: While every effort is made to avoid any mistake or omission, this casenote/ headnote/ judgment/ act/ rule/ regulation/ circular/ notification is being circulated on the condition and understanding that the publisher would not be liable in any manner by reason of any mistake or omission or for any action taken or omitted to be taken or advice rendered or accepted on the basis of this casenote/ headnote/ judgment/ act/ rule/ regulation/ circular/ notification. All disputes will be subject exclusively to jurisdiction of courts, tribunals and forums at Lucknow only. The authenticity of this text must be verified from the original source.

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक- एफ 14-67/2022/12-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01/7/2022

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग। | 2. | प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग। |
| 3. | प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग। | 4. | आयुक्त,
ग्वालियर /चंबल संभाग,
मध्यप्रदेश। |
| 5. | पुलिस महानिरीक्षक,
ग्वालियर /चंबल जोन,
मध्यप्रदेश। | 6. | मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर/चंबल जोन,
मध्यप्रदेश। |
| 7. | कलेक्टर,
जिला - ग्वालियर/भिण्ड/मुरैना/दतिया,
मध्यप्रदेश। | 8. | पुलिस अधीक्षक,
जिला - ग्वालियर/भिण्ड/
मुरैना/ दतिया,
मध्यप्रदेश। |
| 9. | मुख्य वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी,
वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी,
मुरैना, मध्यप्रदेश। | | |

विषय- माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ0ए0 57/2021 (द्वारा डॉ. गोविन्द सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 57/2021 डॉ. गोविन्द सिंह विरुद्ध में पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 के अनुक्रम में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 27.06.2022 के कार्यवाही विवरण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।
संलग्न - उपरोक्तानुसार।

T.C.
/


01/7/2022

(प्रकाश पन्डे)
अवर सचिव

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

निरंतर.....

//2//

पृ० क्रमांक एफ 14-67/2022/12-1

भोपाल, दिनांक 01/03/2022

प्रतिलिपि -

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर/दतिया/मुरैना/भिण्ड।
4. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

TC
/
अवर सचिव

म०प्र० शासन, खनिज साधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
-आदेश-


भोपाल, दिनांक 01/7/2022

क्रमांक ग्वालियर/चंबल संभाग में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम के संबंध में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार संभागीय समन्वय समिति का गठन किया जाता है:-

1. आयुक्त, ग्वालियर/चंबल संभाग- अध्यक्ष
2. पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर/चंबल रेंज-
3. मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर/चंबल संभाग।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल ग्वालियर (म.प्र.)।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ग्वालियर (म.प्र.)
6. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर (म.प्र.)।

उपरोक्त समिति निम्न कार्य करेगी:-

1. ग्वालियर चंबल संभाग में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु सतत रूप से निगरानी रखेगी।
2. ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु आवश्यक बल उपलब्ध कराने की समय-समय पर समीक्षा करेगी।



01/7/2022
प्रकाश पन्डे
(अवर सचिव)

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

भोपाल दिनांक 01/7/2022

पृ. क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, खनिज साधन विभाग।
3. आयुक्त, ग्वालियर/चंबल संभाग।
4. संचालक प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल।
5. पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर/चंबल रेंज।
6. मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर/चंबल संभाग।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल ग्वालियर।
8. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ग्वालियर।
9. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर
10. गार्ड फाई।

T.C.



01/7/2022
प्रकाश पन्डे
(अवर सचिव)

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

(36)
13/12/2022

ANNEXURE RR-4

(लालि)

दिनांक 06.12.2022 को आयुक्त चंबल संभाग की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

दिनांक 06.12.2022 को आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के सभागार कक्ष में आयुक्त चंबल संभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निम्नानुसार अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1. श्री दीपक सिंह, आयुक्त चंबल संभाग
 2. श्री अंकित अस्थाना, कलेक्टर जिला मुरैना
 3. श्री आशुतोष बागरी, पुलिस अधीक्षक जिला मुरैना
 4. श्री स्वरूप दीक्षित, वनमण्डलाधिकारी एवं संचालक रा.च.अ. मुरैना
 5. श्री सी.एस. चौहान, वनमण्डलाधिकारी श्यापुर
 6. श्री नरोत्तम भार्गव, ए.डी.एम. मुरैना
 7. श्री पराग जैन, डिप्टी कलेक्टर
 8. श्री भूरा गायकवाड़, अधीक्षक रा.च.अ. भिण्ड
 9. श्री एल.के. पान्डे, एस.डी.एम. मुरैना
 10. श्री आर.आर. सेंगर, ई.ई. एम.पी.पी.सी.बी. ग्वालियर
 11. श्री डी.डी. साख्यवार, जॉइंट डायरेक्टर
 12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भिण्ड
- एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

कार्यालय कलेक्टर मु...
शाखा:-
दिनांक: 11.12.2022
12 DEC 2022
अधीक्षक कलेक्टर

1. वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर रोकथाम हेतु जिला स्तर पर की गई कार्यवाही की समीक्षा :-

वन क्षेत्र से अवैध उत्खनन के संबंध में श्यापुर एवं भिण्ड जिले में विशेष समस्या नहीं है। मुरैना जिले में वनक्षेत्र से अवैध उत्खनन पर वन विभाग द्वारा उपचार कार्यवाही एवं सामूहिक रूप से खिटा कर कार्रवाई के निर्देश में कार्यवाही कर नियंत्रण किया गया है। अधिकांशतः वनक्षेत्र से लगे क्षेत्र में स्वीकृतशुदा खदानों की आड़ में चोरी छिपे यदा-कदा अवैध पत्थर उत्खनन होता है, जिस पर विभाग का लगभग नियंत्रण है। पुलिस एवं जिला प्रशासन के सहयोग से नियमित रूप से कार्यवाहियां की गई हैं।

आयुक्त महोदय, चंबल संभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि, अवैध उत्खनन कर परिवहन करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों की फोटोग्राफी के लिए सी.सी. टी.वी. फुटेज एवं ड्रॉन की मदद से जानकारी एकत्रित कर जिला प्रशासन संयुक्त रूप से निगरानी कर कार्यवाहियों की जाये।

2. राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य से अवैध रेत उत्खनन के प्रभावी नियंत्रण हेतु रणनीति एवं उसका क्रियान्वयन :-

राष्ट्रीय अभयारण्य क्षेत्र से रेत उत्खनन की समस्या है। जिला टास्कफोर्स के नेतृत्व में आकरिमक छापामार कार्यवाही की जाकर अवैध रेत उत्खनन कर

3372
13/12/22

परिवहन करने वाले वाहनों को जप्त किया जाकर वन विभाग द्वारा राजसात की कार्यवाहियाँ प्रचलित की जाती है। विगत एक वर्ष में वन विभाग द्वारा 69 वाहन जप्त किया जाकर राजसात की कार्यवाही प्रचलित है एवं विगत एक वर्ष में वन विभाग द्वारा 42 वाहन राजसात किये गये हैं।

- वन मण्डल मुरैना के अन्तर्गत अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु सूचना तंत्र विकसित कर वनक्षेत्र एवं अभयारण्य में नियमित रूप से सघन गप्ती कर वन अमले/एस.ए.एफ बल द्वारा अवैध गतिविधियों पर रोकथाम की यथासमय समुचित कार्यवाही की जाती है।
- चम्बल नदी में वाहनों के प्रवेश की रोकथाम हेतु वाहन अवरोधक खंतियाँ खोदी जाती है।

आयुक्त महोदय, चंबल संभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि, अवैध उत्खनन कर परिवहन करने वाले ट्रेक्टर ट्रॉलियों की फोटोग्राफी के लिए सी.सी. टी.वी. फुटेज एवं ड्रॉन की मदद से जानकारी एकत्रित कर जिला प्रशासन संयुक्त रूप से निगरानी कर कार्यवाहियाँ की जाये एवं डम्प रेत के संबंध में जिला टास्कफोर्स अपने नेतृत्व में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

3. वन क्षेत्र से अतिक्रमण, अवैध शिकार, अवैध कटाई की समस्या पर रोकथाम हेतु जिला स्तर पर की गई कार्यवाही की समीक्षा -:

वनक्षेत्र में अतिक्रमण, अवैध, शिकार, अवैध कटाई की तीनों जिलों में विशेष समस्या नहीं है। वन विभाग अपने स्तर से कार्यवाही कर इन समस्याओं पर नियंत्रण किये हुए है। विशेष आवश्यकता पड़ने पर कलेक्टर में एवं पुलिस अधीक्षक से सहयोग प्राप्त कर कार्यवाही की जाती है। उक्त कार्यवाही में चंबल संभाग के अन्तर्गत जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग वन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है।

- अवैध शिकार अवैध कटाई पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

□ समय-समय पर स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाता है।

- वर्तमान में व.म. मुरैना अंतर्गत अवैध शिकार से संबंधित 73 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।

4. राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अन्तर्गत नदी से नाव/ स्टीमर से आवागमन की सुविधा -:

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अन्तर्गत जगह-जगह आवागमन व्यवस्थान्तर्गत नदी पार करने हेतु स्टीमर एवं नावों का उपयोग किया जा रहा है। जन सामान्य की आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रक्रिया बंद किया जाना संभव नहीं है। अतः इसके संबंध में निर्णय लिया गया कि, जन सामान्य के जीवन की सुरक्षा के लिये नाव एवं स्टीमरों को सुरक्षा के बिन्दुओं का पालन करना आवश्यक है।

अतः इस हेतु सभी नाव एवं स्टीमर चालक वन विभाग में आवेदन करें तथा जिला कलेक्टर के निर्देशन में तीनों जिलों में एक समिति का गठन किया जाये, जिसके अन्तर्गत एस.डी.एम. समिति के अध्यक्ष तथा अधीक्षक रा.च.अ. समिति के सदस्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत रहेंगे। नाव एवं स्टीमर चलाने वाले आवेदन वन विभाग में प्रस्तुत करेंगे। वन विभाग समिति के समक्ष आवेदन पत्रों का निराकरण करावेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नाव / स्टीमर की अनुमति जारी कर रायल्टी वसूलेंगे।

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुरैना के अन्तर्गत नदी से नाव/ स्टीमर से आवागमन गतिविधियाँ

- अवैध रूप से चालाए जा रहे नाव/स्टीमर पर स्टाफ द्वारा समय-समय पर गस्ती कर कार्यवाही की जाती है।
- अवैध रूप से चालाए जा रहे नाव/स्टीमर पर प्रभावी कार्यवाही हेतु टारक फोर्स वल की आवश्यकता है।

आयुक्त महोदय, चंबल संभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि समय समय पर पुलिस एवं जिला प्रशासन वन विभाग के साथ सहयोग कर कार्यवाहियाँ करें।

5. खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण (खनिज, रेत, गिट्टी, फर्सी पत्थर एवं चिमनी भट्टों, ईंटों) पर रोकथाम हेतु जिला स्तर पर की गई कार्यवाही की समीक्षा। :-

आयुक्त महोदय, चंबल संभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के साथ औचक चेकिंग करें। अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए अवैध खननकर्ताओं एवं उनके वाहनों के विरुद्ध ठोस रणनीति तैयार कर माचनिंग एक्ट, वन अधिनियमों एवं आई.पी.सी. की धाराओं के तहत कार्यवाही करें

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन अंकित न होने की स्थिति में पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित कर परिवहन नियमों के तहत ऐसे वाहनों पर कार्यवाहियाँ करें।

6. अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग पर स्थापित टोल से बिना "कर" चुकाये निकलने से राजस्व की हानि के संबंध में रणनीति तैयार करना। :-

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन कर राष्ट्रीय राजमार्ग (आगरा-मुम्बई) से होते हुए आर.टी.ओ चैक पोस्ट पार कर बाजार में विक्रय हेतु अवैध परिवहन किया जा रहा है।

अवैध परिवहन में उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर प्रायः रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के पुलिस एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर वाहनों पर क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर परिवहन नियमों कार्यवाही किया जाने के निर्देश दिये गये एवं अन्य अधिकारियों को भी समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये।

अन्य विन्दुओं के संबंध में भी समस्त अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

आयुक्त चंबल संभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि, बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन-प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जावे। धन्यवाद ज्ञापन उपरांत बैठक समाप्त हुई।

(स्वरूप दीक्षित भा.व.से.)

संचालक,

राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य मुरैना

पृ० क्रमांक/स्टेनो/22/...6377

मुरैना, दिनांक...2.12-22

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त चंबल संभाग,
2. पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज मुरैना,
3. मुख्य वनसंरक्षक, वन वृत्त ग्वालियर,
4. कलेक्टर जिला मुरैना/भिण्ड/श्यापुर,
5. पुलिस अधीक्षक, मुरैना/भिण्ड/श्यापुर,
6. वनमण्डलाधिकारी भिण्ड/श्यापुर,
7. जिला परिवहन अधिकारी मुरैना/भिण्ड/श्यापुर,
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला मुरैना/भिण्ड/श्यापुर
9. उप निर्वाचन अधिकारी, जिला मुरैना/भिण्ड/श्यापुर,
10. ई.ई. एम.पी.पी.सी.बी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

संचालक,

राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य मुरैना
एवं पदेन सदस्य/सचिव
संभाग स्तरीय टास्कफोर्स

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक/खनिज/टास्क./2022-23/55(A)

मुरैना, दिनांक 20.01.2023

दिनांक 17.01.2023 को कलेक्टर गहोदय मुरैना की अध्यक्षता में आयोजित
टास्कफोर्स बैठक का कार्यवाही विवरण

कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना (IAS) अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में, कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दिनांक 17.01.2023 को प्रातः 11:00 बजे जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष वागरी (IPS), वनमण्डलाधिकारी श्री स्वरूप दीक्षित (IFS), अपर कलेक्टर, जिला खनिज अधिकारी श्री एस0के0 निर्मल, जिला आवकारी अधिकारी निधि जैन, जिला खाद्य अधिकारी, औषधि अधिकारी, खनिज निरीक्षक मुरैना एवं अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहे।

एजेण्डा :- आज के टास्कफोर्स एजेण्डा की चर्चा करते हुये सभी प्रकार के माफियाओं पर कार्यवाही करने के निर्देश देते हुये कहा कि,

1- रेत खनिज माफिया-अवैध रेत पर विशेषकर चंबल का प्रतिबंधित रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के संबंध में संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने बावत् सुनियोजित तरीके से चर्चा कर तैयारी की जावे।

साथ ही वनमण्डलाधिकारी कार्यवाही की जानकारी अपर कलेक्टर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं खनिज विभाग के साथ साक्षात् कर पोर्टल पर अपडेट करवाने के लिये देंगे। पुलिस, वन, खनिज, राजस्व विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर रेत पर आगे भी कार्यवाही करेंगे। अवैध रेत परिवहन में संलिप्त में वाहन राजसात करने की कार्यवाही करें एवं एफ.आई.आर. दर्ज करावें।

2- नाका :- चंबल नदी से अवैध रेत परिवहन पर रोकथाम किये जाने हेतु नाकों पर स्थापित कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह प्रभावी कार्यवाही की जावे एवं जानकारी उपलब्ध करायी जावे।

3- रेत से भिन्न अन्य गौण खनिज माफिया-अन्य गौण खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के संबंध में संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने बावत् सुनियोजित तरीके से चर्चा कर तैयारी की जावे।

4- मिलावट माफिया से मुक्ति अभियान-मिलावट के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जावेगी, जिसका मैसेज जिले व राज्य स्तर पर अच्छा जावे। जिले में मिलावट से मुक्त की दशा में, पुलिस, राजस्व, खाद्य विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करें। नियमानुसार F.I.R. /N.S.A. की कार्यवाही भी की जावे। साथ ही मिलावट करने वाले व्यक्तियों के मकान तौडने की कार्यवाही की जावे एवं न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना जमा कराये जाने हेतु संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया गया।

5- शराब माफिया- अवैध शराब के आवकारी विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, जमीनी स्तर तक कार्यवाही करें। मिलावटी या जहरीली शराब जिले में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो, इसमें लगातार कार्यवाही की जरूरत है। साथ ही NSA व वाहनों के राजसात की कार्यवाही भी होना चाहिये। आदतन अवैध शराब माफियाओं को विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर मकान तौडने की कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें।

6- जांच नाका- जिला खनिज अधिकारी द्वारा बताया कि, जिले में तीन जांच नाका स्थापित करने हेतु उनके द्वारा संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल को पत्र लिखा गया है। जल्द ही जांच नाका स्थापित होने की कार्यवाही की जावेगी। जिससे खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगेगा।

7- पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा बताया कि, जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण के विरुद्ध पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा पिछले माह अच्छी कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी, जिससे खनिजों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा।

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये आदतन अपराधियों के विरुद्ध एफ.आई. आर. दर्ज कर, आवश्यक होने पर रासुका की कार्यवाही के साथ, नियमानुसार मकान तौडने की कार्यवाही की जाये।

वनमण्डलाधिकारी मुरैना द्वारा एस.ए.एफ. एवं वन विभाग की टीम द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी देते हुये आगामी दिवसों में ओर अधिक से अधिक संयुक्त कार्यवाही की जावे। इस प्रकार कार्ययोजना बनायी जावे।

नोट:- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्देश दिये कि, माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये स्पष्ट निर्देशों पर प्रभावी कार्यवाही प्रत्येक क्षेत्र में की जावे। कार्यवाही करते समय आमजनो एवं अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जावे एवं की गई कार्यवाही की एंटी ऑनलाइन पोर्टल पर समय सीमा में करना सुनिश्चित करें।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कलेक्टर सभाकक्ष में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में अच्छी कार्यवाही होगी।

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2022-23/55(A)

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
7. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना/अधीक्षक रा.च.अ. देवरी की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अपर कलेक्टर/अति.पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बाह/मुरैना/जौरा/सबलगढ की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. खनि अधिकारी/आवकारी अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी/खाघ एवं औषधि अधिकारी जिला मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
12. जनसंपर्क अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर
जिला मुरैना (म.प्र.)
मुरैना, दिनांक 20.01.2023

कलेक्टर
जिला मुरैना (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक/खनिज/NGT/248/2022-23/७४

मुरैना, दिनांक 03/02/2023

प्रति,

संचालक महोदय
भौमिकी तथा खनिकर्म
29 ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल (म0प्र0)।

विषय:- एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 248/2022 के संबंध में ।
संदर्भ:- संचालनालय के कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दूरभाष पर दिये निर्देश के पालन में ।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित निर्देश के पालन में जानकारी निम्नानुसार है :-

1. जिला टास्कफोर्स बैठक की कार्यवाही विवरण संलग्न है।
2. संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पादित संभागीय टास्कफोर्स की बैठक की कार्यवाही विवरण संलग्न है।
3. जिला मुरैना में एक भी रेत खदान, स्वीकृत, चिन्हित, घोषित, संचालित नहीं है ।

श्रीमान द्वारा चाही गई जानकारी तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत

है।

O/C

जिला खनि अधिकारी
(खनिज शाखा)

जिला मुरैना म0प्र0

मुरैना, दिनांक 03/02/2023

पृ.क्रमांक/खनिज/NGT/248/2022-23/७४

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
2. स्टेनो टू कलेक्टर, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ ।

O/C

जिला खनि अधिकारी
(खनिज शाखा)

जिला मुरैना म0प्र0

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल मुरैना (गोप्रो)

एनडी रोड फॉरेस्ट कॉलोनी, मुरैना

फोन नं० 07552-234742 F-1501

उपपत्र संख्या - वन/गोप्रो/22/3262

मुरैना दिनांक 08.07.22

खनिज अधिकारी
जिला मुरैना

बिना - चम्बल नदी से आने वाली रेत के संचयन से चम्बल नदी का विवरण एवं माह जून 2022 में अतीव सख्त-नन-
चरिद्धन मखारण पर डी कार्याग्री (पीओआर सखरगत उत्खनन कर्ताओ का विवरण)सहित जानकारी
मिलवाने कायत ।

संख्या - उपपत्र कार्यां प्रत क / खनिज / विविध / 2022 / रसु। दिनांक 07.07.2022 ।

—000—

विश्रयगतगत लेख है कि, संदर्भित पत्र के माध्यम से चम्बल नदी से आने वाली रेत एवं चैक पोस्ट नाका
के सख्त से जारी गई पाठित जानकारी माह जून 2022 की अद्यतन स्थिति में प्रपत्र पर तैयार कर आपकी ओर
अप्रेषित है ।

वनोपज चैकिंग नाका की जानकारी

S.N.	Circle name	Division name	Range name	Check Post name	Latitude (Decimals)	Longitude (Decimals)
1	2	3	4	5	6	7
	Gwalior	Morena	Morena	अरुणराजगीध वनोपज भूमिगत नाका धौलपुर रोड मुरैना	N26°31'28"90"	E77°57'58"20"

T.C.

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल मुरैना

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक/खनिज/एनजीटी/248/2022/94
प्रति,

मुरैना, दिनांक 01.02.2023

संचालक

भौमिकी तथा खनिकर्म

29 ए खनिज भवन अरेरा हिल्स, भोपाल ।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली में दायर ओ.ए. क्रमांक/248/2022 में पारित आदेश के अनुपालन में जानकारी उपलब्ध कराये जाने बावत्।

संदर्भ:- 1-आपका पत्र क्रमांक /1218 भोपाल, दिनांक 25.01.2023
2-वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मुरैना का पत्र क्रमांक/संरक्षण/23/589 मुरैना दिनांक 31.01.2023।

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली में दायर ओ.ए. क्रमांक/248/2022 में पारित आदेश के अनुपालन में संदर्भित पत्र से वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मुरैना से प्राप्त जानकारी अनुसार चंबल रेत से संबंधित की गई कार्यवाही की जानकारी तैयार आपकी ओर सादर प्रस्तुत है।

क्रं०	वर्ष	अवेध उत्खनन/ परिवहन/ भंडारण के प्रकरणों की संख्या	अधिरोपित अर्थदण्ड	जमा अर्थदण्ड	पर्यावरण क्षतिपूर्ति अंतर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड	पर्यावरण क्षतिपूर्ति अंतर्गत जमा अर्थदण्ड	राजसात वाहन
1	2	2	3	4	5	6	7
1	2021	192 प्रकरण	-	-	-	-	69
2	2022	137 प्रकरण	-	-	-	-	15

संलग्न :- वन विभाग, खनिज विभाग एवं पुलिस से प्राप्त जानकारी।

o/c

पृ.क्रमांक/खनिज/एनजीटी/248/2022/94

जिला खनिज अधिकारी
(खनिज शाखा)

जिला मुरैना (म.प्र.)

मुरैना, दिनांक 01.02.2023

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय एवं नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. स्टेनो टू कलेक्टर, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ।

o/c

जिला खनिज अधिकारी
(खनिज शाखा)

जिला मुरैना (म.प्र.)



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मुरैना (म०प्र०)

ए०बी० रोड फॉरेस्ट कॉलोनी, मुरैना

फोन नं० 07532-299180 E-Mail - dfotmorena@mp.gov.in

क्रमांक/सरक्षण/23/589

मुरैना दिनांक/31-01-2023

प्रति,

खनिज अधिकारी

जिला मुरैना

विषय :- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ओ.ए.क्रमांक 248/2022 में पारित आदेश के पालन बाबत ।

---0000---

विषयांकित संबन्ध में लेख है कि, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ओ.ए.क्रमांक 248/2022 में पारित आदेश के संबन्ध में चाही गई जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर आपकी ओर प्रेषित है :-

एन.जी.टी.की जानकारी दिनांक 01.09.2022 से 23.01.2023 की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र पर

क्र.	कुल वन अपराध प्रकरण	वन विभाग द्वारा जप्त प्रकरण	पुलिस द्वारा प्रदाय प्रकरण संख्या	पुलिस द्वारा दर्ज एफ.आई.आर	आरोपियों की संख्या	खनिज द्वारा जप्त किये गये वाहनों के प्रकरण	राजस्वत/ जुर्माना
1	2	3	4	5	6	7	8
1	42	32	10	10	04	-	-

S. R. D. A.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मुरैना

टास्क फोर्स की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 06.06.2022 को कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में टास्कफोर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व/पुलिस) समस्त जिला मिण्ड, परिवहन विभाग तथा खनि अधिकारी मिण्ड उपस्थित रहे।

बैठक में खनिज संबंधी निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई है-

- जिले में समूह क्रमांक-2 (मेहगांव, मिहोना, लहार) हेतु विधिमान्य रेत ठेकेदार श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा 01 जून 2022 को अनुबंध निष्पादन किया जा चुका है तथा रेत अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु नाके स्थापित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें जिले के विभिन्न 09 स्थानों पर नाकें स्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः नाके स्थापित कर खनिज एवं राजस्व अमले द्वारा सतत निगरानी रखे जाने के संबंध में।
- जिले में विभिन्न स्थानों पर लावारिश अवैध भण्डारण के निवर्तन के संबंध में।
- खनिज के ओव्हर लोड परिवहन, भार क्षमता से अधिक बॉडी को हटाने तथा बिना नम्बर के वाहनों के संबंध में।
- अवैध उत्खनन, परिवहन तथा अवैध भण्डारण पर अंकुश लगाये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व), तथा खनिज विभाग द्वारा पृथक-पृथक एवं संयुक्त कार्यवाही करने एवं पुलिस बल उपलब्ध कराने के संबंध में।
- सिंध नदी की रेत खदानों पर अवैध उत्खनन में लिप्त रेत माफियाओं के विरुद्ध संयुक्त छापामार कार्यवाही किये जाने के संबंध में।
- चंबल नदी चम्बल अभ्यारण क्षेत्र अन्तर्गत आती है। जिसमें अवैध रेत उत्खनन/परिवहन की शिकायतें प्राप्त होने पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में।

टास्क फोर्स बैठक में दिये गये निर्णय/निर्देश-

- जिले में अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग की निगरानी में विधिमान्य रेत ठेकेदार द्वारा नाकें स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें एवं खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक मिण्ड, खनिज नाकों पर सतत निगरानी रखें एवं आवश्यक होने पर नजदीकी थानों से पुलिस सहायता प्राप्त करें।
- जिले में विभिन्न स्थानों पर लावारिश अवैध भण्डारणों को जप्त कर निवर्तन हेतु जिले के विधिमान्य ठेकेदार अथवा निर्माण कार्य एजेंसियों को सुपुर्द कराया जाना अथवा राजसात कर नीलामी की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

BY T.C.
I

- परिवहन अधिकारी खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में निर्धारित क्षमता/माप के अतिरिक्त वाहन की बॉडी बढ़ी पाई जाती है तो तत्काल कटवाना सुनिश्चित करेंगे।
- परिवहन विभाग भिण्ड को जिले में बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्यवाही कर रजिस्ट्रेशन नम्बर लगवाना सुनिश्चित करें।
- सिंध नदी की रेत खदानों पर अवैध रेत उत्खनन में लिफ्ट वाहन/मशीन एवं पनडुब्बियों पर पुलिस, राजस्व एवं खनिज विभाग का संयुक्त दल द्वारा छापेमार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- चंबल नदी चम्बल अभ्यारण क्षेत्र अन्तर्गत आती है। जिसमें अवैध रेत उत्खनन/परिवहन की अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने के अधिकार वन विभाग को हैं। अतः वनमण्डलाधिकारी भिण्ड द्वारा अवैध रेत उत्खनन, परिवहन के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे एवं सतत निगरानी रखी जावे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता प्राप्त की जावे।


कलेक्टर


जिला भिण्ड (म०प्र०)

भिण्ड, दिनांक ०७/०६/२०२२

क्रमांक-.....०...../खनिज/२०२२

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना को सूचनार्थ।
2. आयुक्त परिवहन विभाग ग्वालियर को सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस समस्त जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
7. खनिज अधिकारी, खनिज शाखा भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त तहसीलदार जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
9. जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड की ओर पालनार्थ।




कलेक्टर
जिला भिण्ड (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड (म०प्र०)

Email - modgmbhi@mp.gov.in

दिनांक 10/06/2022

-:आदेश:-

क्रमांक-5710.../खनिज/2022 प्रमुख सचिव, खनिज साधन
मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 2020/623/दिनांक 22.02.2020 से रेत खनिज के ऐसे
जिले जहाँ सफल निविदाकार चयनित हो चुके हैं उनमें अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन की
रोकथाम हेतु परीक्षण कर जांच चौकी स्थापित करने के निर्देश दिये हैं तथा मध्यप्रदेश खनिज
(अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के अध्याय-तीन के नियम 7 के
तहत जांच चौकियों की अस्थायी व्यवस्था के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्तमान में रेत समूह क्रमांक-2 (तहसील-मेहगांव, मिहोना एवं लहार) 37 रेत
खदानों का ठेका, ठेकेदार श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेघराज सिंह निवासी-सी-28, उर्मिला
मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021 द्वारा जिला भिण्ड में रेत के
अवैध परिवहन एवं उत्खनन की रोकथाम हेतु 9 विभिन्न स्थानों पर जांच नाका स्थापित किये
जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त के संबंध में सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं जिले में
खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से आगामी
आदेश तक निम्नानुसार चौक पोस्ट स्थापित किए जाते हैं:-

क्र०	नाका स्थल	तहसील का नाम	थाना का नाम
1	अमायन-अड़ोखर तिराहा, लहार रोड़	तहसील मेहगांव	थाना अमायन
2	मेहरा, अमायन-लहार रोड़	तहसील लहार	थाना लहार
3	रावतपुरा तिराहा, अमायन-लहार रोड़	तहसील मिहोना	थाना लहार
4	भटपुरा, लहार रोड़	तहसील लहार	थाना लहार
5	चौरई तिराहा, सेवड़ा-लहार रोड़	तहसील लहार	थाना असवार
6	वैशाली नदी पुल के पास, भिण्ड-अमायन रोड़	तहसील मेहगांव	थाना भारौली
7	मौ, सेवड़ा रोड़	तहसील मौ	थाना मौ
8	अंतियन का पुरा, गोपालपुरा रोड़	तहसील मिहोना	थाना मिहोना
9	फूप, भिण्ड-इटावा रोड़	तहसील भिण्ड	थाना फूप

उपरोक्तानुसार स्थापित किये जाने वाले चौक पोस्ट के संचालन के संबंध में
निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

T.C.
H

स्थापित किए जाने वाले चेक पोस्ट की अधोसंरचना (शेड, फर्निचर, पेयजल व्यवस्था, लाईन पर्याप्त सी.सी.टी.वी. कैमरे, स्टेशनरी आदि) की व्यवस्था सफल निविदाकार द्वारा अपने व्यय से की जावेगी।

2. स्थापित किये जाने वाले चेक पोस्ट पर स्टॉफ का प्रबंधन म0प्र0 खनिज नियम 2022 के नियम-2 में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारियों/व्यक्तियों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में किया जावेगा।
3. पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से चेक पोस्ट पर सफल निविदाकार के प्रतिनिधि उपस्थित रखने संबंधी समस्त प्रकार का नियंत्रण सफल निविदाकार द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों के अनुरूप अपने स्तर से किया जावेगा।
4. चेक पोस्ट स्थापित करने का उद्देश्य अवैध उत्खनन/परिवहन को नियंत्रण करना है। इस हेतु चेक पोस्ट पर वाहनों के इन्द्राज हेतु निर्धारित पंजी, जांच के अन्य आवश्यक पत्रक उपलब्ध कराने का कार्य सफल निविदाकार द्वारा किया जायेगा। चेक पोस्ट पर रखने वाले समस्त दस्तावेज पृष्ठांकित, मुद्रांकित और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होंगे।
5. जिले का खनिज एवं राजस्व अमला समय-समय पर चेक पोस्ट का निरीक्षण कर आवश्यक नियंत्रण और विभागीय दायित्वों का निर्वहन करेगा।
6. निर्धारित किए गए चेक पोस्ट के स्थान में परिवर्तन तथा चेक पोस्ट की संख्या में कमी एवं बढ़ोत्तरी आवश्यकता अनुसार की जा सकेगी।
7. चेक पोस्ट की जांच के दौरान यदि कोई अवैध गतिविधि का प्रकरण प्राप्त होता है तो इसकी सूचना तत्काल जिला खनि अधिकारी को प्रदान की जायेगी।
8. सक्षम अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि चेक पोस्ट पर कार्य करने वाले निजी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो।
9. चेक पोस्ट संचालन एवं खनिज के निरीक्षण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला कार्यालय, खनिज विभाग के विभिन्न नियम एवं अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णरूपेण पालन किया जावेगा।
10. नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एम.पी.आर.डी.सी. की सड़कों पर स्थापित जांच नाकों पर निविदाकार को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्रा0 के नियमों के निर्देशों का पालन करना होगा।

T.C.
/

AL
कलेक्टर
जिला भिण्ड (म0प्र0)

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, म0प्र0 शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंधन संचालक, स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि0, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
6. संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/थाना प्रभारी की ओर सूचनार्थ।
7. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री-राष्ट्रीय राजमार्ग/लोक निर्माण विभाग भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
8. जिला कमाण्डेट, होमगार्ड जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
9. जिला परिवहन अधिकारी, भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
10. जिला खनि अधिकारी, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सफल निविदाकार श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेघराज सिंह, निवासी-सी-28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

T.C.
/


कलेक्टर
जिला भिण्ड (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड (म0प्र0)

E-Mail- modgmbhl@mp.gov.in

भिण्ड, दिनांक 29/06/2022

// आदेश //

क्रमांक-5371/खनिज/2022- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा SUSTAINABLE SAND MINING MANAGEMENT GUIDELINES 2016 जारी की गई है। जिसके अनुसार वर्षा ऋतु (मानसून सत्र) में नदियों से रेत खनन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नागपुर द्वारा पत्र दिनांक 18.01.2016 से म.प्र. में वर्षा ऋतु (मानसून सत्र) की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है, जिसके परिपेक्ष्य में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क्रमांक 9174 दिनांक 08.06.2016 से पत्र प्राप्त हुआ है। राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण (सिया) के पत्र क्रमांक-1136, दिनांक 14.06.2019 से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जिला स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से नदियों में रेत खनन पर प्रतिबंध हेतु मानसून की अवधि निर्धारण करने के निर्देश प्राप्त है। इसके अतिरिक्त म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक-एफ-19-8/2020/12/2 भोपाल दिनांक 26.05.2020 के अंतिम पैरा अनुसार दिनांक 30.06.2020 अथवा कलेक्टर द्वारा मानसून आधारित खदान बंद करने की घोषित तिथि जो भी पहले हो, लागू करने का लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त निर्देश पत्रों के पालन में जिले में स्थित नदियों से रेत खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध हेतु मानसून अवधि दिनांक 30.06.2022 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 30.09.2022 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक निर्धारित की जाती है। यदि अंतिम तिथि के पश्चात् भी मानसून सक्रिय रहता है तो तदानुसार पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)




कलेक्टर
जिला भिण्ड (म.प्र.)
भिण्ड, दिनांक 29/06/2022

पू0क्रमांक-5372/खनिज/2022

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, सिया, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. शासन, म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
8. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व/पुलिस), अनुभाग- मेहगांव, लहार, मिहोना, रौन, भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
9. तहसीलदार, तहसील-मेहगांव, लहार, मिहोना, रौन, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. थाना प्रभारी, पुलिस थाना, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. खनि निरीक्षक, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेघराज सिंह पता-सी-28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. गार्ड फाइल।

T.C.




कलेक्टर
जिला भिण्ड (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड (म.प्र.)

क्रमांक/क्यू/03/खनिज/2022

भिण्ड,दिनांक

प्रति,

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
29-ए अरेरा हिल्स भोपाल 40प्र0

विषय:- माह जून 2022 में अवैध उत्खनन/परिवहन एवं भण्डारण पर की गई कार्यवाही की जानकारी।

विवरण	कुल प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	प्रस्तावित अर्थदण्ड राशि	जमा अर्थदण्ड राशि	रिगार्क
अवैध उत्खनन	-	-	-	-	-
अवैध परिवहन	36	03	19,02,930/-	5,25,000/-	33 प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन
अवैध भण्डारण	13	13		92,14,394/-	13 लवारिस भण्डारणों को जप्तकर जिले के विधिमान्य ठेकेदार श्री राघवेंद्र को सुपुर्द किया गया एवं उनके द्वारा समस्त भण्डारणों की कुल राशि 92,14,394/- रुपये माइनिंग कॉरपोरेशन के पोर्टल के माध्यम से जमा की गई।
कुल योग	49	16	19,02,930/-	97,39,394/-	

T. C.
/

अपर कलेक्टर
जिला भिण्ड (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड (म०प्र०)

क्रमांक-165 / खनिज / 2023 Email - modgmbhl@mp.gov.in

भिण्ड, दिनांक 02/02/23

टास्क फोर्स बैठक दिनांक 27.01.2023

// कार्यवाही विवरण //

जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक दिनांक 27.01.2023 को कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक भिण्ड, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल भिण्ड, अपर कलेक्टर भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) समस्त जिला भिण्ड, जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड एवं प्रभारी खनिज अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. जिले की समूह क्रमांक-2 (तहसील मेंहगांव, लहार एवं मिहोना) की कुल 37 रेत खदान मेसर्स राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेघराजसिंह को स्वीकृत होकर अनुबंधित है। जिसमें 15 खदानों में वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होकर संचालित है। जिले की समूह क्रमांक-2 (तहसील मेंहगांव, लहार एवं मिहोना) की कुल 37 रेत खदानों का सीमांकन कराये जायें व मुनारे स्थापित कराये जायें।

(कार्यवाही राजस्व/खनिज विभाग)

2. जिले की जो खदानें खाली पड़ी है उन खदानों पर जगह-जगह पण्डुब्धियों द्वारा अवैध उत्खनन की शिकायतें दैनिक समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही है। संबंधित क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं तहसीलदार व थाना प्रभारी सतत भ्रमण कर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

(कार्यवाही राजस्व/खनिज विभाग)

3. जिले में खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु स्थापित खनिज जांच नाकों का सतत भ्रमण कर अवैध/ओवरलोडिंग परिवहन में लिफ्ट वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही राजस्व/खनिज विभाग)

4. जिले ओवरलोड खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की अनेक शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त हो रही है। ऐसे वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही की जावे। जांच के समय यह भी ध्यान रखे कि जिले वाहनों का पंजीयन परिवहन विभाग द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिये किया गया है, वे वाहन की व्यवसायिक कार्य में संलग्न रहे। प्रायः देखा गया है कि खनिज परिवहन किये जा रहे वाहनों पर पंजीयन क्रमांक स्पष्ट नहीं है उन वाहनों पर त्वरित कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही परिवहन विभाग)

5. चंबल नदी चम्बल अभ्यारण क्षेत्र अन्तर्गत आती है। जिसमें अवैध रेत उत्खनन/परिवहन की शिकायतें प्राप्त होने पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने

के अधिकार वन विभाग को है। आवश्यकता होन पर पुलिस एवं खनिज विभाग भिण्ड से सम्पर्क कर सेन्दुरी अभ्यारण एवं वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध उत्खनन/परिवहन की जांच सख्ती से करेगें तथा आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध करायेगें।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

(कार्यवाही वन विभाग विभाग)


प्रभारी खनि अधिकारी

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

भिण्ड दिनांक ०२/०२/२३

पृ०क्रमांक- 166 / खनिज / 2023

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वनमण्डलाधिकारी, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. खनि निरीक्षक/सर्वेयर भिण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रभारी खनि अधिकारी
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड (म०प्र०)

modgmbhi@mp.gov.in

भिण्ड दिनांक...०३/०२/२०२३

क्रमांक-....167...../ खनिज / 2023

प्रति,

संचालक,
भौमिकी तथा खनिकर्म,
म.प्र. भोपाल।

विषय:- मान० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए. क्र. 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2022 विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य।

सन्दर्भ:- उप संचालक महोदय द्वारा दिनांक 03.02.2023 को दूरभाष पर दिये निर्देशानुसार।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला भिण्ड म.प्र. में चंबल नदी पर खनिज रेत के कोई भी खदान स्वीकृत एवं संचालित नहीं है। जिला भिण्ड में समय-समय पर अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई है। आयोजित की गई बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है। आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Pr  3.2.2023
प्रभारी खनिज अधिकारी
जिला-भिण्ड (म०प्र०)



VAKALATNAMA

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, (PB) BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION / APPEAL / REVIEW No. 248 / 2022

IN RE NEWS ITEM PUBLISHED IN THE Claimant/Petitioner/Applicant
HINDU DATED 27.03.2022 TITLED AS
DRUGGING UP THE CHAMBAL **VERSUS**

..... State of M.P. & ORS. Respondent/Non-Applicant

I/we the Respondent/Non- applicant named below do hereby appoint, engage and authorize advocate named below to appear, act and plead in aforesaid case/proceedings, which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this Court or in any other Court in which the same may be tried/heard/proceeded with and also in the National Green Tribunal in respect of proceedings arising from this case/proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/ them to sign and file pleadings, cross objections, petitions, applications, affidavits, or other document as may be deemed necessary or proper for the prosecution/ defence of the said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts done by him/ them as if done by me/us : In witness whereof I/We do hereunto set my/ our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by me/ us, this ^{03rd} day of ^{Feb} 2023 at Bhopal (M.P.)

Particulars (in block letters) of each Party Executing Vakalatnama

Name & Registered Address	E-mail Address (if any)	Telephone Number (if any)	Status in the case	Full Signature/ **Thumb Impression
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Anoop Mishra S/o K.K. Mishra Khanij Bhawan 29'A' ARERA HILLS Bhopal			94251 10763	Resp.

Accepted:

Particulars (in Block Letters) of each advocate accepting Vakalatnama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SACHIN K. VERMA STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF MP NATIONAL GREEN TRIBUNAL ENRL NO. 2130/98	CHAMBER NO. 608, UCI LAWYERS CHAMBER ARERA HILLS BHOPAL462011	ngtstand ingcoun sel@gma il.com	9425412492	